माननीय विधायक श्री राजेन्द्र सिंह राणा, द्वारा नियम 324 के अंतर्गत उठाया गया मामला :-

"नगर परिषद सुजानपुर टीहरा के अंतर्गत वार्ड संख्या 8 के बीचों बीच बह रहे नाले के चैनलाईजेशन के लिए सरकार और प्रशासन ने सितम्बर 2020 में विधान सभा में पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था वह राशी डेढ वर्ष बीत जाने पर भी नहीं उपलब्ध करवाई गई है । इस नाले की चैनलाईजेशन न होने के कारण लोगों का हर वर्ष भारी नुक्सान हो रहा है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस नाले की चैनलाईजेशन के लिए जनहित में पर्याप्त बजट अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाये ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

नगर परिषद सुजानपुर का गठन वर्ष 1982 को हुआ । जिसका कुल क्षेत्रफल 11.46 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें कुल 13 वार्ड है । 2011 की जनगणना के अनुसार नगर परिषद की कुल आबादी 24344 व्यक्ति है । वार्ड न0 8 के जिस नाले के तटीयकरण का मामला विधान सभा में उठाया गया है वहाँ पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ता दर्ज है, परन्तु मौके पर यह नाला ही है । जिसका खसरा न0 1404 रकवा 20 कनाल 9 मरले तथा जिसकी लम्बाई 620 मीटर व चौड़ाई 3.5 मीटर है ।

वर्ष 2021 में इस नाले के तटीयकरण का मु0 43.16 लाख रूपये का प्राक्कलन जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया था । निदेशालय शहरी विकास विभाग द्वारा नाले के तटीयकरण का प्रस्ताव प्राक्कलन सहित दिनांक 23-02-2022 को सरकार को Head of Account "2217-80-192-26-Grant to Municipalities for Capital Assets-SOON (44-GIA)" under Demand No.28 में मु० 49,16,000/- रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाने हेतु भेजा गया था। तत्पश्चात सरकार के पत्र दिनांक 20.07.2022 द्वारा इस नाले के तटीयकरण का संशोधित प्रस्ताव भेजने के आदेश निदेशालय, शहरी विकास विभाग को दिये गये।

निदेशालय शहरी विकास विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2022 को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सुजानपुर को इस नाले के तटीयकरण का संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा गया । तत्पश्चात इस नाले के तटीयकरण का संशोधित प्राक्कलन मु० 49.60 लाख रूपये का दिनांक 21.07.2022 को निदेशालय, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हुआ, जोकि जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया था । निदेशालय से दिनांक 22.07.2022 को संशोधित प्रस्ताव प्राक्कलन सहित Head of Account "2217-80-192-26-Grant to Municipalities for Capital Assets-SOON (44-GIA)" under Demand No.28 में मु० 49,60,000/- रूपये की धनराशि उपलब्ध करवाने हेतु सरकार को प्राप्त हुआ है । विभाग द्वारा मामला अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 30-07-2022 को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। जैसे ही वित विभाग द्वारा अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जाएगी, नाले के तटीयकरण का कार्य करवाना सुनिश्चित कर दिया जाएगा।